सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायलय तहसीलदार औसियां जिला जोधपुर

क्रमांक / राजस्व / कोर्ट / 2020 / 536 दिनांकः— 25/9/2020

प्रार्थी

सरकार जरिये भू.अ.नि......तापू.........

पटवारी किजरी ....

अप्रार्थी / अप्रार्थीगण

श्री......महेन्द्र सिंह......

पुत्र श्री......जब्बर सिंह......

जाति......राजपूत......

निवासी......तापू......

मुकदमा नंबर 7/2020 24/9/2020

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम —1956 की धारा 91

:— निर्णयः—

पटवारी हल्का ......किजरी...........ने इस आशय से रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है किया है कि अप्रार्थी / अप्रार्थीगण में राजस्व गांव बिरमालपुरा के खसरा नं. 180 ......रकबा 0.12 किस्म ......गैर मु- रास्ता .राजकीय भूमि पर ......तारबन्दी......फसल बोकर / बाडा बनाकर / निर्माण करके बिना वैध अधिकार स्वेच्छा से तथा बिना सक्षम अनुमति के अवैध अतिक्रमण किया है। इस पर उक्त प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा के अन्तर्गत दर्ज रजिस्ट्रर करके धारा 91 (3) के अन्तर्गत अप्रार्थी / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस की विधिवत तामील के पश्चात भी अप्रार्थी अनुपस्थित है अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ली जाती है / अप्रार्थी उपस्थित हुआ, अप्रार्थी को सुना गया । राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा अतिचार करने के फलस्वरूप भू—राजस्व / लगान......0.31......प्रति वर्ष का ......50......गुणा कुल रूपये..........15..........अक्षरे रूपये ......पन्द्रह ....मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है एवं कुर्कसुदा फसल नीलाम कर नीलामी फर्द स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक को लिखा जावे। पटवारी / भू0अ0नि0 अतिकमी को अतिकमी को अतिक्रमण स्थान से बेदखल करके बेदखली फर्द तथा जुर्माना वसूल करके पालना 7 दिवस में पेश करें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का ....किजरी.................... को आदेशित किया जाता है कि मांग दर्ज कर वसूल करें। बाद पालना के पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ....18/9/2020..................को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार औसियां

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार औसियां जिला जोधपुर

क्रमांक / राजस्व / 2020 / 531 दिनांकः– 25/9/2020

प्रेषितः– भू.अ.नि. ताप्रू ।

हल्का पटवारी किंजरी ।

विषयः– माफिक निर्णय की पालना किए जाने बाबत।

प्रसंगः– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम –1956 की धारा 91 के मु.न. 7 सरकार बनाम अप्रार्थीगण महेन्द्र सिंह 2/9/2020 संबंध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायलय के मु. न. 7/9/2020 की प्रति भेजकर लेख है कि किसी उच्चतर न्यायलय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में पुनः इस कार्यालय को भिजवाए । निर्णय की पालना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे।

तहसीलदार ओसियां।

क्रमांकः–सम / 202 / दिनांक

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ओसियां
2. थानाधिकारी.......................................को भेजकर लेख है कि संबंधित भू.अ.नि. व हल्का पटवारी द्वारा शांति व्यवस्था बाबत पुलिस इमदाद चाहने पर जाब्ता उपलब्ध करावे।
3. संबंधित ग्राम विकास अधिकारी...............................को भेजकर लेख है कि भू.अ.नि. व हल्का पटवारी आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध करावे।
4. तहसील राजस्व लेखा शाखा को वास्ते मांग दर्ज।
5. रक्षित पत्रावली।

तहसीलदार ओसियां।